

सं०-01/दि०स०नि० यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 530

बिहार सरकार

दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय

(समाज कल्याण विभाग)

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित सम्बल योजना के तहत  
“बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण” संबंधी  
मार्गदर्शिका ।

बिहार सरकार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु प्रतिबद्ध है। दिव्यांगजनों के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना 'सम्बल' एवं भारत सरकार द्वारा संचालित 'सिपडा' योजना को समेकित कर वर्ष 2017 से मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत संचालित राज्य योजना 'सम्बल' के महत्वपूर्ण घटक 'कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण' के तहत न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता वाले 5 वर्ष से अधिक आयु के सभी प्रकार के दिव्यांगजनों के शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनर्वास हेतु हस्तचालित ट्राईसाईकिल, व्हीलचेयर, बैशाखी, श्रवणयंत्र, कैलिपर्स आदि का वितरण किया जा रहा है।

चलंत (Locomotor) दिव्यांग छात्र-छात्राओं तथा रोजगारपरक दिव्यांगजनों के विशेष श्रेणी के लिए आवागमन की मूलभूत आवश्यकता के दृष्टिगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना की कंडिका 6.1 में पात्रता परिवर्तित करते हुए विशेष श्रेणी के दिव्यांगजनों को बैट्री चालित ट्राईसाईकिल उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-500 दिनांक-23.06.2022 निर्गत किया गया है, जिसके तहत 'सम्बल' योजना के आय संबंधी पात्रता को यथावत रखते हुए आयु संबंधी पात्रता में परिवर्तन कर 18 वर्ष या इससे अधिक तथा दिव्यांगता प्रतिशत में परिवर्तन कर न्यूनतम 60 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है। उक्त अधिसूचना के आलोक में बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण हेतु व्यवहारिक क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना के प्रावधानों एवं प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया जा रहा है, जो निम्नवत है:-

2. लाभुकों की पात्रता:-

मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण छत्र योजना अंतर्गत बैट्री चालित ट्राईसाईकिल निम्न श्रेणी के चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन पात्र होंगे:-

(i) (a) चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन छात्र / छात्राएँ जिनका आवासन बिहार राज्य स्थित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसर से तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो

अथवा

(b) वैसे चलंत (Locomotor) दिव्यांगजन जो स्वावलंबन के उद्देश्य से बिहार राज्य में अपना रोजगार करते हों और परिवार के कमाऊ सदस्य हों तथा उनके आवास से उनका रोजगार स्थल तीन किलोमीटर या उससे अधिक दूरी पर हो।

(ii) बिहार राज्य के स्थायी निवासी एवं बिहार में आवासन अनिवार्य होगा।

(iii) आय:-अधिकतम 2 लाख प्रतिवर्ष।

(iv) आयु:-18 वर्ष या उससे अधिक।

(v) दिव्यांगता प्रतिशत:- न्यूनतम 60 प्रतिशत चलंत दिव्यांगता।

3. आवेदन की प्रक्रिया:-

(i) पात्र लाभुकों द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदन करने हेतु आवेदक द्वारा सर्वप्रथम समाज कल्याण विभाग के वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/socialwelfare> पर जाकर बैट्री चालित ट्राईसाईकिल हेतु लिंक पर क्लिक करना होगा।

(ii) क्लिक करने के पश्चात् आवेदक को मोबाईल नम्बर, ई-मेल एवं आधार नम्बर द्वारा पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण कराने के पश्चात् आवेदक का User ID Generate होगा।

(iii) उक्त User ID के माध्यम से आवेदक द्वारा आवेदन में सभी सूचनाएँ अंकित की जायगी तथा वांछित अभिलेख अपलोड किया जायगा।

आवेदन पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् Submit Button Click कर आवेदन Submit किया जायगा ।

- (iv) आवेदन Submit होने के पश्चात् जिला स्तर पर Maker Login में उपलब्ध होगा ।
- (v) Maker द्वारा आवेदन (सभी अभिलेख सहित) संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी (Checker) को Forward किया जायेगा ।
- (vi) Checker द्वारा जाँचोपरान्त Check List सहित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग (Approver) को Forward किया जायेगा ।
- (vii) Approver द्वारा Checker से प्राप्त सभी आवेदनों की स्क्रीनिंग हेतु जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के समक्ष रखा जायगा एवं स्क्रीनिंग समिति द्वारा सुयोग्य दिव्यांगजनों के चयन के पश्चात् Approver द्वारा अपने Login से उसे Approve किया जायगा ।
- (viii) आवेदन के साथ सक्षम प्राधिकार के स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय का आई0 कार्ड (पहचान पत्र), रोजगार / व्यवसाय संबंधित प्रमाण-पत्र, मान्यता प्राप्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं फोटो आदि पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा । अधिसूचना में अंकित दस्तावेज की स्पष्ट प्रति एवं संपूर्ण दस्तावेज संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।

#### 4. सहायक उपकरण वितरण की प्रक्रिया:-

स्क्रीनिंग समिति द्वारा Approve सूची के आलोक में संबंधित सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा बैट्री चालित ट्राईसाईकिल के लिए एलिमको को अधियाचना भेजी जायगी ।

एलिमको द्वारा बैट्री चालित ट्राईसाईकिल की आपूर्ति के उपरांत तिथि का निर्धारण करते हुए वितरण का कार्य सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन



सशक्तिकरण कोषांग द्वारा शिविर के माध्यम से किया जायगा तथा इसकी सूचना दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को उपलब्ध करायी जाएगी।

**5. अभिलेख का संधारण :-**

जिलों में बैट्री चालित ट्राईसाईकिल हेतु प्राप्त सभी आवेदनों एवं वितरण हेतु चयनित लाभार्थियों से संबंधित विस्तृत अभिलेख का संधारण सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग द्वारा किया जाएगा।

**6. बैट्री चालित ट्राईसाईकिल वितरण संबंधित अन्य अनुदेश :-**

- (i) इस योजना से वित्तीय वर्ष 2022-23 में 10,000 चलंत दिव्यांगजनों को लाभान्वित किया जायगा।
- (ii) एक बार लाभान्वित होने के पश्चात लाभुक को आगामी 10 वर्ष तक बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का लाभ नहीं दिया जायगा।
- (iii) बैट्री चालित ट्राईसाईकिल का क्रय भारत सरकार के उपक्रम एलिमको (ALIMCO) से किया जायगा।
- (iv) बजट उपबंध के अधीन विभाग द्वारा जिलावार निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्क्रीनिंग समिति के द्वारा आवेदन पत्रों में से सुयोग्य दिव्यांगजनों का चयन किया जायेगा तथा प्रथम आओ, प्रथम पाओ (First Come First Serve) के आधार पर क्रमवार सूची तैयारी की जायगी।
- (v) चयनित लाभार्थियों की सूची जिला स्थित सभी संबंधित कार्यालयों तथा प्रखंड कार्यालयों के सूचना पट्ट पर तथा पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जायगी। साथ ही चयनित / अचयनित दिव्यांगजनों को भी इसकी सूचना पोर्टल / SMS / e-Mail के माध्यम से उपलब्ध करायी जाएगी।
- (vi) समाज कल्याण विभाग द्वारा योजनाओं के सुचारु रूप से क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जायगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से

(रमेश कुमार झा)


संयुक्त निदेशक,

समाज कल्याण विभाग।


ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 530 पटना, दिनांक-06/7/22  
प्रतिलिपि:-संयुक्त सचिव, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० एवं  
हार्ड कॉपी सहित बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

  
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 530 पटना, दिनांक- 06/07/2022  
प्रतिलिपि:-माननीय मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव / सचिव, माननीय मंत्री, समाज  
कल्याण विभाग के आप्त सचिव / प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम / निदेशक,  
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय / निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय /  
निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय / निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय / मुख्य  
कार्यपालक पदाधिकारी, सक्षम, बिहार, पटना / State Informatics Officer, NIC, Patna  
/ मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी / सरकार पक्ष को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
संयुक्त निदेशक

ज्ञापांक:-01/दि०स०नि०यो०(सम्बल)-03/2022 स.क. 530 पटना, दिनांक- 06/07/2022  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना / मुख्य सचिव के आप्त सचिव / सभी अपर  
मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष / राज्य आयुक्त  
निःशक्तता / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी  
सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोषांग, बिहार / सभी प्रखण्ड विकास  
पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित ।

  
संयुक्त निदेशक

